राजस्व अपील संख्या 496 / 2022

अनवान

गंगाराम वगैराह बनाम राज0 राज्य वगैराह

दिनांक 16–09–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी जिला बाड़मेर के द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 160 / 2022 अनवान राज0 सरकार बनाम भीखाराम वगैराह में पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी जिला बाडमेर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 06.07.2022 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, सिणधरी उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे और मौका नक्शा, मौका फर्द तैयार करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी उक्तानुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट / मौका फर्द तथा पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करे एवं सुनवाई किये जाने के पश्चात अगर आवश्यक हो तो पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर